तम्बाकू नियंत्रण के लिये कोटपा कानून की पालना व जागरूकता के लिये सामुहिक प्रयास की आवष्यकता

दिनांक 13.05.2015

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एस आर के पी एस जयपुर, ग्रामीण विकास ट्रस्ट बांसवाडा एवं प्रगति गामीण विकास सेवा संस्थान के सयुंक्त तत्वाधान में ग्रामीण विकास ट्रस्ट बांसवाडा के प्रषिक्षण हॉल में एक दिवसिय तम्बाकू नियंत्रण कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यषाला में तम्बाकू उत्पादो के थोंक विक्रेता, होटल संचालक, ऑटो/बस यूनियन प्रतिनिधि और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधी मौजुद थें।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 एच. एल ताबियार ने तम्बाकू से होने वाली बीमारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि इससे कैंसर, जैसी घातक बिमारी होती है अतः हमे तम्बाकू से होने वाली शारिरिक हानि के प्रति जागरूकता लाने की आवष्यकता है।इसमें थोंक विक्रेता, होटल संचालक, ऑटो/बस यूनियन प्रतिनिधि और स्वैच्छिक संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहीए उन्होंने तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धाराओं के बारे में जानकारी दी

कार्यषाला में चेबर कॉमर्स के अध्यक्ष षभ्भु लाल हिरण ने अपने सम्बोधन मे बाताया कि व्यापारी कानून की पालना के अनुसार बोर्ड लगाना सुनिषिचित करेंगें इसके साथ ही उन्होनें कहा कि सरकार इसके निर्माण पर भी रोक लागाने की कार्यवाही करें।

कार्यषाला में एस.आर.के.पी.एस. जयपुर के कार्यक्रम अधिकारी संजीत कुमार ने बताया कि तम्बाकू सेवन से देष में प्रति मिनट 2 लोगो की मृत्यु होती है जो कि प्रतिदिन 2740 लोगो की मृत्यु है। राजस्थान में 32.3 प्रतिषत व्यस्क तम्बाकू सेवन के आदी है। और 350 बच्चे प्रतिदिन तम्बाकू का सेवन कर इसकी गिरफत में आते हैं।

ग्रामीण विकास ट्रस्ट के जिला प्रबघक एच के तोमर ने सभी अतिथियो व सम्भागीयो का स्वागत करते हुए बताया कि संस्था द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं से जुडे सभी सदस्यो को प्रशिक्षणो, जागरूकता शिविरो के माध्यम से तम्बाकू निर्मित उत्पादो से होने वाले आर्थिक एवं शारिरिक नुकसानो के बारे में अवगत कराकर अधिक से अधिक प्रचार करेगी। उन्होंने बताया कि संस्था पाच हजार परिवारों के साथ वाडी परियोजना, 1500 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तम्बाकू नियत्रण हेतु अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेगी।

प्रगति गामीण विकास सेवा संस्थान के सचिव कोदर लाल बुनकर ने बताया कि संस्था इस प्रकार का प्रषिक्षण / जागरूकता कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक के अधिकारी, जनप्रतिनिधि के साथ आयोजन किया जायेगा।

कार्यषाला में पुलिस इंस्पेक्टर किसन सिंह ने ने बताया कि तम्बाकू विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान में विज्ञापन नही करने व 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादो की बिक्री न हो यह सुनिष्चित करावे यदि इसकी अवहेलना करने पर तो कोटपा की धारा 6 ए के अन्तर्गत 200/– दौ सौ रूपये का जुर्माना व धारा 5 के तहत सजा का प्रावधान किया जावेगा।

कार्यषाला में कासा संस्थान के समवयक गोपीलाल राव, करूणा फाउडेषन के अध्यक्ष गोपाल तलदार, ग्रामीण विकास ट्रस्ट के समवयक दुर्गेष त्रिपाठी, दक्ष ऐकेडमी के जयेन्द्र सिहं साजवान सहित कुल 70 प्रतिभागी उपस्थित थें। कार्यषाला में विष्णु बुनकर ने धन्यावाद ज्ञापित किया।

एच के तोमर

जिला प्रबघक

Glimpses of the Event

Media Coverage

सच्चा हमसफर
दैनिक नवज्योति
उदयपुर, गुरुवार, 14 मई 2015

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्यशाला आयोजित

प्रति मिनट दो जानें लेने वाली तंबाकू पर प्रतिबंध क्यों नहीं?

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बांसवाड़ा

प्रतिदिन 2740 एवं प्रति मिनट दो लोगों की जान लेने वाली तंबाकू के उत्पादन पर आखिर सरकार खुद रोक क्यों नहीं लगा देती। सरकार विदेशी सिगरेट कंपनियों पर किस तरह का शिकंजा कस रही है। कहीं सरकार खुद जागों, खुद बंद करों जैसी नीति तो नहीं अपना रही है। ऐसे कई सवाल राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला में उभर कर सामने आए। कुछ राज्यों में प्रतिबंध मात्र से कहीं यह व्यापार असामाजिक तत्वों के हाथ में न चला जाए जैसी आशंकाएं भी कार्यशाला में उभर कर सामने आई। चिकित्सा विभाग, एसआरकेपी संस्था व जीवीटी के संयुक्त तत्वावधान मे आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने खुलकर अपने विचार रखे। साथ ही विदेशी सिगरेट कंपनियों पर प्रतिबंध के बारे में भी सवाल खड़े किए। सभी का मानना था कि सरकार को खुद जागो और खुद बंद करों की नीति छोड़कर उसके उत्पाद पर ही प्रतिबंध लगाना होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हीरालाल ताबियार ने बताया कि एक्ट की पालना सुनिश्चित कराने के साथ-साथ तम्बाकू सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरुकता लाने की आवश्यकता है। कार्यशाला में तम्बाकू उत्पादों के थोक विक्रेता, होटल संचालक, ऑटो/बस यूनियन प्रतिनिधि और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधी मौजूद थे। कार्यशाला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एसआरकेपीएस जयपुर, प्रगति गामीण विकास सेवा संस्थान व ग्रामीण विकास ट्रस्ट बांसवाड़ा के सयुंक्त तत्वावधान में ग्रामीण विकास ट्रस्ट के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एचएल ताबियार ने तम्बाकू से होने वाली बीमारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि इससे कैंसर, जैसी घातक बीमारी होती है। उन्होंने तम्बाकू उत्पादों के विक्रेताओं को जानकारी देते हुए बताया कि तम्बाकू बेचने वाले दुकानदार अपने दुकान में 60 गुणा 30 सेमी का बोर्ड जिसमें '18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है' लिखा हुआ बोर्ड प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें तथा वे 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद नही बेचें। इसके अलावा सिगरेट एवं तम्बाकू पदार्थों के विज्ञापनों के बोर्डों को हटाने की बात कही। उन्होंने होटल संचालक, ऑटो/बस यूनियन के प्रतिनिधियों को कहा कि वे अपने होटल तथा बस एवं ऑटो में 'गैर धुम्रपान क्षेत्र यहां धुम्रपान करना अपराध है' का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। डॉ. ताबियार ने बताया कि सरकार से प्राप्त आदेशानुसार तम्बाकू विक्रेताओं से हर महीने के अंतिम दिन तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने का आह्वान किया तथा तम्बाकू सेवन करने वाले स्वेच्छा से इस दिन परहेज करें। कार्यशाला में एसआरकेपीएस जयपुर के कार्यक्रम अधिकारी संजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में 32.3 प्रतिशत व्यस्क तम्बाकू सेवन के आदी है और 350 बच्चे प्रतिदिन तम्बाकू का सेवन कर इसकी गिरफ्त में आते हैं। कार्यशाला में चेम्बर ऑफकॉमर्स के अध्यक्ष शम्भुलाल हिरण ने बताया कि व्यापारी कोटपा कानून की पालना के अनुसार बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इसके निर्माण पर भी रोक लगाने की कार्यवाही करें। उन्होंने सवाल किया कि विदेशी सिगरेट निर्माता कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता है? उन्होंने कहा कि जरूरत जड़ तक पहुंचने की है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि दाने-दाने में केसर का स्वाद और मुंह में... जैसे विज्ञापन धड़ल्ले से प्रकाशित और प्रचारित किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवालियां निशान लगता है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट के जिला प्रबंधक एचके तोमर ने बताया कि संस्था के गतिविधियों में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को जोड़ा जाएगा व अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रगति ग्रामीण विकास सेवा संस्थान के सचिव कोदरलाल बुनकर ने बताया कि संस्था इस प्रकार का प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक के अधिकारी, जनप्रतिनिधि के साथ आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में कासा संस्थान के समन्वयक गोपीलाल राव, करूणा फाउण्डेशन के अध्यक्ष गोपाल तलदार, ग्रामीण विकास ट्रस्ट के समंवयक दुर्गेश त्रिपाठी, दक्ष एकेडमी के जयेन्द्र सिंह सहित कुल 70 प्रतिभागी मौजूद थे।

बांसवाड़ा। जीवीटी सभागार में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंभूलाल हिरण। -दीपक भारत श्रीमाल